

अदालत

उपखण्ड न्याय अदालत  
राजिंदर नगर

पुरमाहनी

बनाम ओमप्रकाश

25/8

नम्बर 14 सन् 2018

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी किए

348

जज की कोर्ट के विरुद्ध अपील के अंतर्गत  
उपरोक्त प्रकरण के अंतर्गत प्रमाण  
द्वारा उक्त अपील को खारिज किया गया  
तथा उक्त अपील को खारिज किया गया

वकील पं. राजेश कुमार हाजिर दिनांक 18/11/18 को पेश हो 2018

मिशन के पत्र पर नकार धारा 148 के अंतर्गत  
अपील को खारिज किया गया तथा अपील को खारिज किया  
आपकी नतीजा के अंतर्गत किया गया तथा अपील को खारिज  
18/11/18 को पेश हो

ओमप्रकाश

19/18 दिनांक 18-11-18 को अदालत के माफ़ी मय के अंतर्गत  
वकील पं. राजेश कुमार हाजिर। श्रीमान एस.डी.एम. साहब पुनः/अन्य  
प्रकरण में कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 16-5-18  
को पेश हो 2018

1-5-18 आप्र पट्टे पत्रावली शकत लोक अदालत के अंतर्गत  
कोर्ट "न्याय आपके हाथ-2018" के अंतर्गत प्रमाण  
द्वारा अपील को खारिज किया गया तथा अपील को खारिज  
आपकी नतीजा के अंतर्गत किया गया तथा अपील को खारिज  
आ-की-सू-अपील धारित आई चक 63 & 33 के  
पत्र नं 183/266 मुं. नं 3 की उ-प्रा. हेतु लातेपुरी  
अपील में लाने के लिए शकत नहीं है इसी मुद्दे पर

न्याय आपके द्वार 2018  
ओमप्रकाश

अभि. तुलसी  


पं. राजेश कुमार  
राजिंदर नगर

PTD

लालचंद पंवार  
सरपंच

श्रीमान पंचायत की...  
पं. राजेश कुमार

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहक  
हुक्म  
में ज

नं० 3 के क्रि० नं० 8/13-18 व 23 जफके सालम-सलम  
 0-152  
 में से 0.025 हे०, 0.025 हे० जफके में से 0-100 हे० परिचयी  
 पाता पाता स्वीकृत किया जाय जजगी अरु जमान 31 गुलावा 11/11  
 जाति मेथवाल निवासी 31mL राजि वीर श्याम श्याम कीकावली  
 में स्वीकृत किया कि उक्त वकाल में से पाता स्वीकृत का  
 रिपा जाय तो उक्त को हुकराज नही हो इतराज  
 में से पाता निशुद्ध स्वीकृत किया जाय इसकी शिनाख्त  
 श्याम प्रचण्ड लाल के इजाजत लापय श्याम प्रचण्ड  
 कीकावली ने शिनाख्त की है

अब श्याम प्रचण्ड लाल का जजका जजगी अरु जमान

31 गुलावा श्याम जाति मेथवाल का-31 mL की सद्वति  
 के अन्तर्गत पर कामे यक 63 RBB के फोन 183 मु० नं०  
 266  
 3 के क्रि० नं० 8/13, 18 व 23 जफके सालम-सलम  
 0-152  
 में से 0.025 हे०, 0.025 हे० जफके में से 0-100 हे० परिचयी  
 पाता पाता श्याम निशुद्ध स्वीकृत किया जाता है  
 इसी अशुद्ध शवाच किाई में अशुद्ध-इतराज से  
 इसी अशुद्ध का अशुद्ध वकालीत जाय के कामे जारी है  
 पजगी के होते में श्याम के का शिनाख्त (फरके)

इतराज मकाल आदि के मुजापा भी

6  
 (सत्यवीर श्याम)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 रायसिंहनगर